सीबीआइ ने रिश्वत मामले में रेलवे के तीन अफसरों को पकड़ा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 1 अगस्त।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) ने हाजीपुर-मुख्यालय वाले पूर्व मध्य रेलवे (ईसीआर) में माल ढुलाई रैक के तरजीही आबंटन में कथित रूप से रिश्वतखोरी का भंडाफोड़ किया है। ब्यूरो ने भारतीय रेलवे यातायात सेवा (आइआरटीएस) के तीन अधिकारियों और दो अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। यह जानकारी अधिकारियों ने सोमवार को दी। इसके अलावा गिरफ्तार किए गए आईआरटीएस अधिकारियों में ईसीआर में मुख्य माल परिवहन प्रबंधक के पद पर तैनात संजय कुमार (1996 बैच), समस्तीपुर में तैनात रूपेश कुमार (2011 बैच) और सोनपुर में तैनात सचिन मिश्रा (2011 बैच) शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि अधिकारियों पर माल लदान के लिए रेलवे रैक के तरजीही आबंटन के लिए ईसीआर विक्रेताओं से नियमित रिश्वत लेने का आरोप है।

इसके अलावा उन्होंने बताया कि सीबीआइ ने कोलकाता स्थित आभा एग्रो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के नवल लधा और मनोज कुमार साहा को भी मामले में गिरफ्तार किया है। साथ ही उन्होंने बताया कि तलाशी के दौरान 46.50 लाख रुपए नकद बरामद किए गए।

एनटीआर की बेटी उमा का शव फंदे से लटका मिला

हैदराबाद, 1 अगस्त (भाषा)।

विख्यात तेलुगू अभिनेता और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत एनटी रामाराव (एनटीआर) की बेटी ने सोमवार को कथित रूप से अपने घर में आत्महत्या कर ली। पुलिस ने यह जानकारी दी।

वे 57 वर्ष की थीं। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि उमा माहेश्वरी की सबसे छोटी बेटी, दामाद और अन्य लोगों को जब उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो उन्होंने अंदर से बंद कमरे का दरवाजा तोड़ दिया। अधिकारी ने कहा कि उन्होंने माहेश्वरी का शव फंदे से लटका हुआ पाया।

जम्मू से अमरनाथ तीर्थयात्रियों का 32वां जत्था रवाना

जम्मू, 1 अगस्त (भाषा)।

दक्षिण कश्मीर स्थित अमरनाथ गुफा के दर्शन के लिए 450 से अधिक तीर्थयात्री जम्मू आधार शिविर से रवाना हुए। 32वें जत्थे में सुबह कुल 458 यात्री कड़ी सुरक्षा के बीच 21 वाहनों के काफिले में भगवती नगर यात्री निवास से रवाना हुए।

जनसत्ता क्लासीफाइड

PUBLIC NOTICE

It is informed that, property My Client, **Ms Arti Verma (ii) Shri Sushil Verma R/o** 25, Bunglow Road, Kamla Nagar, Delhi, has misplaced **Agreement for Sale** vide Reg no 4000, Dt 20.11.1942, **Sale Deed** vide Reg no 2314, Dt 16.04.1959, who so ever is in the possession of said documents, In case anyone has got any right /title / interest/ claims over the under mentioned property, they are advised to approach to me within 10 days alongwith necessary proof to substantiate their claim, If no response is received within 10 days, it is presumed that the property is free of any charge /claim/ encumbrance.

Detail of property : BUILT UP PROPERTY BEARING NUMBER 25, AREA MEASURING 900.59 SQ.FEET, SITUATED AT 25, BUNGLOW ROAD, DELHI-110007.

Sd/-
SIMI DUA
ADVOCATE
Office : A-3/703, Printers' Aptt., Sector-13, Rohini, Delhi-110085

PUBLIC NOTICE

General Public is hereby informed that **Mrs. Sunita Vij W/o Late Mr. Ashok Kumar Vij**, is the absolute owner of **Entire Upper Ground Floor, First Floor, & Third Floor with roof/terrace rights, in the built up freehold property No. H-106, (Plot No. 106 & Block - H), area measuring 266.7/10 Sq. Yards. Situated at Shivaji Park, Punjabi Bagh West, New Delhi.** That original papers of the said property i.e. **(1) Sale Deed dated 25/03/1955 between DLF Ltd. in favour of Mr. Ram Ratan in respect of the above said plot property which was registered as (Doc. No. 3694 on dated 12/04/1955) (2) Will Deed Dated 22/10/1972 executed by Mr. Ramji Dass in favour of his wife & his Daughters** as per documents, are missing anywhere. A missing information/NCR to this effect is already lodged with Delhi Police Crime Branch bearing **LR No: 644780/2022** dated 30/07/2022. It is hereby notified that any person or entity, firm/ Company, Bank, HUF/ member of HUF, financial institution, having any claim any charge, interest or lien or deem on the basis of above documents and/or objection to thereof, he/ she/ they may lodge notify the same to the undersigned with documentary proof/ court judgement within 15 days from the date of this publication on **Email- rohitjha399@gmail.com** of undersigned, failing which any such claim/objection shall be deemed to be null and void.

Sd/-
Rohit Kumar (Advocate)
Chamber No.5, Ground Floor, Rohini Court, Delhi-110085

PUBLIC NOTICE
TO ALL WHOM MAY CONCERN

It is inform to public at large that my client Sh. Anand S/O Sh. Lakmi Chand and Smt. Anju W/O Sh. Anand Both R/o WZ-269, Chhotilal, Palam Village, South West Delhi-110045, have disowned/debarred their son Namely Nikhil Gupta and their daughter-in-law Smt. Arju, from all their movable and immovalble properties whatsover and severed all their relations with them bacause they are out of control of my clients due to their intolerable behavior and habits. Anyone dealing with them my do so at his/her own risk and consequences. My clients and all other family members will have no concern for any such act/dealing.

Sd/-
DIGVIJAY SINGH
ADVOCATE
D-83, 2nd Floor, Vikas Puri, New Delhi-110018

PUBLIC NOTICE

Sale and Mortgage of **RESIDENTIAL APARTMENT BEARING NO. 237, ON 2ND FLOOR, TOWER – E, HAVING SALEABLE/SUPER AREA MEASURING 1295 SQ. FT., IN THE GROUP HOUSING COMPLEX KNOWN AS "GAUR GLOBAL VILLAGE", CONSTRUCTED ON GROUP HOUSING PLOT NO. 4, AT CROSSING REPUBLIK, SITUATED AT DUNDAHERA, GHAZIABAD, U.P (Herein after referred as the "said property").**

Notice is hereby given to the General Public that my client(s) intends to purchase the above said property from Mrs. Shivira Jain, Shri Ritesh Jain, along with Shri Ashish Jain, Mrs. Ritu Sharma and Smt. Sheela Jain who had acquired the same after the death of Late Santosh Kumar Jain. Lastly, Sale deed was executed by M/s Gaursons India Ltd. in favour of Mrs. Shivira Jain, Mr. Santosh Kumar Jain and Mr. Ritesh Jain, through his Attorney Mr. Ashish Jain registered vide no.6136 dated 07.08.2014.That my client(s) is/are availing the loan to purchase the said property from AXIS Bank Ltd. and the said property would be the security to the loan availed by them. If any person including banks, financial institutions or any other person, relative, organization, company, firm or government authority having any claim, right, title or any interest of any nature whatsoever into or upon the above-referred property, is hereby called upon to make the same known, in writing with documentary evidence by registered AD Post to the undersigned at the address mentioned herein below within 5 (Five) days of publication of this notice to the undersigned failing which the same shall be deemed to have been waived and/or abandoned. In the event of no response being received to this notice, the purchase and further mortgage of this property shall be completed by our client and its client without any reference to and without in any manner being affected by any such right title, interest or claim whatsoever.

MANISHA CHAUDHARY, ADVOCATE
JUS LEGALIS,210, VARDHMAN STAR CITY MALL (NEAR RAMPHAL CHOWK), SECT-7 DWARKA, NEW DELHI-110075
CONTACT NO.: 011-45606363, 9899006723

SALORA
सलोरा इंटरनेशनल लिमिटेड

CIN: L74899DL1968PLC004962
पंजीकृत कार्यालय: डी-13/4, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-II, नई दिल्ली-110 020
दूरभाष.:011-40115817 | ईमेल: sect@salora.com
वेबसाइट: www.salora.com

सूचना

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 47 के साथ पठित विनियम 29 के अनुसार सलोरा इंटरनेशनल लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक **शुक्रवार, 12 अगस्त, 2022** को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाएगी जिसमे अन्य बातों के साथ-साथ **30 जून, 2022** को समाप्त पहली तिमाही के लिए कंपनी के अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार और अनुमोदन किया जायेगा।

उक्त सूचना कंपनी की वेबसाइट यानी **www.salora.com** के साथ-साथ स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट यानी **www.bseindia.com** पर देखी जा सकती है।

कृपया ध्यान दें कंपनी की आचार संहिता और सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग निषेध) विनियमन 2015 ('संहिता') के अनुसार नामित व्यक्तियों और उनके निकटतम रिश्तेदारों द्वारा व्यापार को विनियमित करने, निगरानी करने और रिपोर्ट करने के लिए कंपनी की प्रतिभूतियों में लेनदेन के लिए ट्रेडिंग विंडो जो 1 जुलाई, 2022 से बंद है, वह 30 जून, 2022 को समाप्त पहली तिमाही के लिए कंपनी के अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों की घोषणा के 48 घंटे की समाप्ति तक बंद रहेगी।

सलोरा इंटरनेशनल लिमिटेड के लिए
हस्ता/-
(अनुभव निगम)
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 1 अगस्त, 2022

SALE NOTICE
SANTOSH OVERSEAS LIMITED (Under Liquidation)

Liquidator: Mr. Rohit Sehgal
Registered Office: Unit No. DPT 501 DLF Prime Towers, Okhla Phase, New Delhi, Delhi 110020
Email ID: iamrs101@gmail.com, santosh.overseas@aaainsolvency.com
Contact No.:+91 7011568767 (Mr. Rahul Nagar)

E-Auction
Sale of Assets under Insolvency and Bankruptcy Code, 2016
Date and Time of E-Auction: 20th August, 2022 at 3.00 pm to 5.00 pm
(With unlimited extension of 5 minutes each)
Last Date to deposit EMD and documents: 18th August, 2022 by 5:00 pm IST

Sale of Assets owned by **Santosh Overseas Limited (in Liquidation)** forming part of Liquidation Estate formed by the Liquidator, appointed by the Hon'ble National Company Law Tribunal, Principal Bench, New Delhi vide order dated 27th September, 2019. The sale will be done by the undersigned through the e-auction platform https://ncltauction.auctiontiger.net

Block	Description	Reserve Price (Rs. Crores)	EMD Amount (Rs. Crores)	Incremental Amt. (Rs. Lacs)
A	Assignment of Trade Receivables (Debtors) of the Company amounting to Rs. 236.65 Crores (Refer to e-Auction process document for details)	1.14 Cr.	0.11 Cr.	5.00 Lacs

1. Interested applicants are requested to refer to the detailed e-Auction Process Document showing the description for sale. The e-Auction Process Document is uploaded on the website of the e auction service provider athttps://ncltauction.auctiontiger.net Last date to deposit EMD is 18th August 2022 by 5:00 pm IST. The Liquidator has the right to accept or cancel or extend or modify, etc any terms & conditions of E-Auction at any time or reject any of the bid without giving any reasons.
2. The Complete E-Auction process document containing details of the Assets, online e- auction Bid Form, Declaration and Undertaking Form, General Terms and Conditions of online auction sale are available on website https://ncltauction.auctiontiger.net Contact: Ms. Neha Gyani at +91-6351896834/079-61200584 & 6351896834 neha.gyani@auctiontiger.net/ramprasad@auctiontiger.net/ support@auctiontiger.net (On going to the link https://ncltauction.auctiontiger.net interested bidders will have to search for the mentioned company by using either one of the two options, (i)Company's name (Santosh Overseas Limited), or by, (ii) State and property type).
3. The intending bidder should submit the evidence for Pre-Bid Security Payable through NEFT / RTGS / Demand Draft in the Account of "SANTOSH OVERSEAS LIMITED IN LIQUIDATION", Account No.: 50200045249887, HDFC Bank, Branch: B-54A, Greater Kailash, New Delhi-110048, IFSC Code: HDFC0000092, or through DD drawn on any Scheduled Bank in the name of "SANTOSH OVERSEAS LIMITED IN LIQUIDATION" for participation in the E-Auction. Name of the Eligible Bidders will be identified by the Liquidator to participate in e-auction on the portal (https://ncltauction.auctiontiger.net). The e-auction service provider (Auction tiger) will provide User id and password by email to eligible bidders.
4. The intending bidder should submit the evidence for EMD Deposit or Bank Guarantee and Request Letter for participation in the E- Auction along with Self attested copy of (1) Proof of Identification (2) Current Address-Proof (3) PAN card (4) Valid e-mail ID (5) Landline and Mobile Phone number (6) Affidavit and Undertaking, as per Annexure 1 (7) Bid Application Form as per Annexure II (8) Declaration by Bidder, as per Annexure III, the formats of these Annexure can be taken from the Complete E-Auction process document. These documents should reach the office of the liquidator or by E-mail, at the address given below before 5:00 PM of 18th Aug 2022. The Name of the Eligible Bidders will be determined by the Liquidator to participate in e- auction on the portal (https://ncltauction.auctiontiger.net). The e-auction service provider (Auction tiger) will provide User id and password by email to eligible bidders.
5. In case, a bid is placed in the last 5 minutes of the closing time of the e-auction, the closing time will automatically get extended for 5 minutes with unlimited extension. The bidder who submits the highest bid amount (not below the reserve price) on closure of e-Auction process shall be declared as the Successful Bidder and a communication to that effect will be issued through electronic mode which shall be subject to approval by the Liquidator.
6. The EMD of the Successful Bidder shall be retained towards part sale consideration and the EMD of unsuccessful bidders, who have participated in the bidding process, shall be refunded. The EMD shall not bear any interest. The Liquidator will issue a Letter of Intent (LOI) to the Successful Bidder in accordance with terms specified under E-auction process document and the Successful Bidder shall have to deposit the balance amount (Successful Bid Amount – EMD Amount) within 30 days on issuance of the LOI by the Liquidator. Default in deposit of the balance amount by the successful bidder within the time limit as mentioned in the LOI would entail forfeiture of the entire amount deposited (EMD + Any Other Amount) by the Successful Bidder.
7. The Successful Bidder shall bear the applicable stamp duties/transfer charge, fees etc. and all the local taxes, duties, rates, assessment charges, fees etc. in respect of the assets put on auction.
8. The Liquidator has the absolute right to accept or reject any or all offer(s) or adjourn/postpone/cancel the e-Auction or withdraw any property or portion thereof from the auction proceeding at any stage without assigning any reason thereof.
9. After payment of the entire sale consideration, the Transfer certificate/agreement will be issued in the name of the successful bidder only and will not be issued in any other name.
10. The sale shall be subject to provisions of Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 and regulations made there under.
11. E- auction Date & Time : 20th August, 2022 from 3.00 p.m. to 5.00 p.m. (with unlimited extension of 5min)

Sd/-
Rohit Sehgal (Liquidator)
Santosh Overseas Limited in Liquidation
IBBI Regn. No.: IBBI/IPA-001/IP-P00528/2017-2018/10953
Address: 581, 4th Floor, Sector-27, Gurgaon, Haryana-122002
Email ID: iamrs101@gmail.com | **Contact No.:** 7011568767 (Mr. Rahul Nagar)

Date: 02/08/2022
Place: Gurugram

न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट(टी0जी0)/अपर कलेक्टर, लखनऊ

सख्या–385/रीडर–टी0जी0/2022 दिनाक 29 जुलाई 2022

नोटिस

1– श्री अहमद हुसैन पुत्र श्री सरदार हुसैन पता म0सं0 फ्लैट सं0 1005, 9वॉ तल, सामिया मेलरॉस एवेन्यू, वृन्दावन योजना, लखनऊ व जहानाबाद मार्ग, बी.डी.जी.पी. पम्प अशोकनगर, दक्षिणी घाटमपुर कानपुर व ईडी–1/518, सेक्टर–डी1, एलडीए कालोनी कानपुर रोड लखनऊ।

2– श्रीमती अजहर हुसैन पत्नी श्री सरदार हुसैन पता म0सं0 फ्लैट सं0 1005, 9वॉ तल, सामिया मेलरॉस एवेन्यू, वृन्दावन योजना, लखनऊ व जहानाबाद मार्ग, बी.डी.जी.पी. पम्प अशोकनगर, दक्षिणी घाटमपुर कानपुर व ईडी–1/518, सेक्टर–डी1, एलडीए कालोनी कानपुर रोड लखनऊ।

एतदद्वारा आपको नोटिस दी जाती है कि एक्सिस बैंक, लखनऊ के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में याचिका प्रस्तुत करते हुए यह अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा उक्त बैंक से लिए गए ऋण का भुगतान अभी तक अदा नहीं किया गया है।

अतः आप दिनांक 17.08.2022 को समय 12.00 बजे दिन में अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर कारण स्पष्ट करें कि क्यों न वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा–14 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए बैंक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख में कथित सम्पत्ति को कब्जे में लेकर बैंक को ऋण अदायगी वसूली के संबंध मे दे दी जाय। यदि आप उक्त निर्धारित दिनांक व समय पर अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय मे उपस्थित नहीं होते हैं तो समझा जायेगा कि आपको कुछ नहीं कहना है और तद्नुसार नियमानुसार आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

(हिमांशु कुमार गुप्ता)
अपर जिला मजिस्ट्रेट(टी0जी0)/अपर कलेक्टर,
लखनऊ।

भारत एकांश लिमिटेड

सीआईएनः L74899DL1985PLC020973
पंजीकृत कार्यालयः प्लॉट 586, पॉकेट सी, आईएफसी, गाजीपुर, दिल्ली 110096
वेबसाइटः www.Bharatekanshlimited.com
ईमेलःbharat.ekansh.limited@gmail.com

सार्वजनिक सूचना–37वीं वार्षिक आम बैठक

1. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि भारत एकांश लिमिटेड (कंपनी) की 37वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) बुधवार, 31 अगस्त, 2022 को दोपहर 2.00 बजे, कंपनी के पंजीकृत कार्यालयः प्लॉट 586, पॉकेट सी, आईएफसी, गाजीपुर, दिल्ली 110096 में आयोजित होने वाली है।
2. कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (एलओडीआर), विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुपालन में,वित्तीय वर्ष 2021–22 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की नोटिस की प्रतियां उन सभी शेयरधारकों को भेजी जाएंगी जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत/उपलब्ध हैं। अभौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने ईमेल पते और मोबाइल नंबर को अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से अपने संबंधित डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत करें। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, ई–मेलः admin@skylinerta.com; फोनः +91–11–64732681 के साथ अपने ईमेल पते और मोबाइल नंबर दर्ज करायें।
3. एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइटः www.bharatekanshlimited.com पर भी उपलब्ध रहेगी।
4. शेयरधारकों के पास इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्धारित कार्यवाहियों पर अपना मत दूरस्थ रूप से डालने का अवसर होगा। अभौतिक प्रारूप, भौतिक प्रारूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों और अपने ईमेल पते पंजीकृत न कराने वाले शेयरधारकों के लिए दूरस्थ रूप से मतदान करने का तरीका शेयरधारकों के नोटिस में प्रदान किया जाएगा। यह विवरण कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया जाएगा। शेयरधारकों से अनुरोध है कि इस तरह के विवरण के लिए कृपया www.bharatekanshlimited.com का अवलोकन करें ।
5. शेयरधारकों को 37वीं एजीएम की सूचना उनके ईमेल पते पर लागू कानूनों के अनुसार शीघ्र ही भेजी जाएगी।

कृते भारत एकांश लिमिटेड
हस्ता/–
विशाल कुमार श्रीवास्तव
निदेशक
डीआईएन : 08792936

दिनांकः 31.07.2022
स्थान : दिल्ली

सार्वजनिक सूचना

इस्टी एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड ("कंपनी")
पंजीकृत कार्यालयः पीओ5–01ए , पीओ5–01बी, पीओ5–01सी, 5वीं मंजिल, टावर ए, डब्ल्यूटीसी गिफ्ट सिटी, ब्लॉक 51, रोड 5ई, जोन 5, गिफ्ट सिटी, गांधीनगर, गुजरात–382355
कॉर्पोरेट कार्यालयः 8वीं मंजिल, ब्लॉक I, वाटिका बिजनेस पार्क सोहना रोड, सेक्टर 49, गुरुग्राम, हरियाणा–122001
संपर्क नंबरः +91 124 463 7700 ; फैक्सः +91 124 463 7701
वेबसाइटः www.esteeadvisors-com
ईमेल आईडीःinvestorsgrievances@esteeadvisors.com
डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का बंद होना

सर्व साधारण को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि "कंपनी" अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी आईडी 89000) लाइसेंस को वापस करने और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड के अपने डीपी संचालन को बंद करने की प्रक्रिया में है।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सभी खाताधारकों के खाते, या तो सीडीएसएल की असाइनमेंट प्रक्रिया के अनुसार 22 जुलाई 2022 से प्रभावी सभी शेष राशि के साथ नए डीपी में खाता स्थानांतरित कर किया गया है या संबंधित डीमैट खाताधारकों द्वारा चुने गए विकल्प के अनुसार उनका खाता स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। .

कृते इस्टी एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता /
उमेश कुमार
निदेशक
(डीआईएनः 0111082)

स्थान : गुरुग्राम
दिनांकः 2 अगस्त 2022

साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड

(पूर्व में चिरायु ब्रॉडकास्ट नेटवर्क लिमिटेड के रूप में प्रचलित)
सीआईएनः L92100DL1994PLC059093
पंजीकृत कार्यालयः 37, दूसरी मंजिल, रानी झांसी रोड, मोतिया खान, पहाड़गंज, दिल्ली–110055
ईमेल आईडीः cbnl.delhi@gmail.com,
वेबसाइटः www.sadhnabroadcast.com
फोनः 91–11–23552627, फैक्स नंबरः 91–11–23524610

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड के सदस्यों की 28वीं वार्षिक आम बैठक गुरुवार, 25 अगस्त, 2022 को शाम 4:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीएस)/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 05 मई, 2020 ('एमसीए') के साथ परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 तथा सेबी द्वारा जारी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 ("परिपत्र") के अनुसार और भौतिक प्रतियां भेजने में होने वाली कठिनाइयों के कारण, एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2021–22 कंपनी के उन सदस्य को भेज दी गई है, जिसका ईमेल 01 अगस्त, 2022 को कंपनी/आरटीए के साथ पंजीकृत है। सदस्य ध्यान दें कि कंपनी वार्षिक रिपोर्ट 2021–22 और एजीएम की सूचना के भौतिक/हार्ड कॉपी नहीं भेजा है।

चूंकि परिपत्रों के अनुसार एजीएम की बैठक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है,इसलिए सदस्यों की शारीरिक उपस्थिति को समाप्त कर दिया गया है। तदनुसार, सदस्यों द्वारा प्रतिनिधि की नियुक्ति की सुविधा एजीएम के लिए उपलब्ध नहीं होगी।

भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्य जिन्होंने कंपनी के साथ अपने ईमेल पते को पंजीकृत/अपडेट नहीं किया है, उनसे कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (यहां 'आरटीए' के रूप में संदर्भित) के साथ compliances@skylinerta.com पर पंजीकरण/अपडेट करने का अनुरोध किया जाता है।

कृपया ध्यान दें कि उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.sadhna.com पर और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट यानी बीएसई लिमिटेड और द मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं एनएसडीएल की वेबसाइट evoting@nsdl.co.in पर भी उपलब्ध हैं।

पुनः यह सूचना दी जाती है कि कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 यथा संसोधित के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोट देने के उनके अधिकार की सुविधा प्रदान कर रही है और नोटिस में बताए गए कार्यवाही को एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से निष्पादित किया जा सकता है। सदस्य निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कर सकते हैं:

i. कट–ऑफ तिथि यानी शुक्रवार, 12 अगस्त, 2022 के अनुसार शेयर रखने वाले सदस्य नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्धारित सामान्य कार्यवाही पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। ई–वोटिंग की अवधि सोमवार, 22 अगस्त, 2022 को सुबह 9 बजे से शुरू होकर बुधवार 24 अगस्त, 2022 को शाम 5.00 बजे तक होगी।

ii. कट–ऑफ तिथि को भौतिक या अभौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले कंपनी के सदस्य रिमोट ई–वोटिंग अवधि के दौरान इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से मतदान करने वाले सदस्य एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे। हालांकि, वे एजीएम में मतदान के लिए पात्र नहीं होंगे।

कंपनी ने ई–वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करने के लिए मेसर्स वी कुमार एंड एसोसिएट्स के प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव श्री विवेक कुमार को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक्स वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य से मंगलवार, 16 अगस्त, 2022 से बुधवार, 24 अगस्त, 2022 (दोनों दिन सहित) तक बंद रहेंगे।

किसी भी पूछताछ के मामले में, आप https://www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभागों में उपलब्ध सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और सदस्यों के लिए ई–वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका का संदर्भ ले सकते हैं या निम्नलिखित टोल फ्री नंबरः 1800–222–990 पर एनएसडीएल से संपर्क कर सकते हैं। रिमोट ई–वोटिंग से संबंधित किसी अन्य शिकायत के लिए, सदस्य एनएसडीएल से निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं: फोन नंबर +91 22 24994545, +91 22 24994559

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड
हस्ता /
नाम : तजिंदर कौर
डीआई.एनः 06799570
पदनामः प्रबंध निदेशक
पताः 24/27 फ्रंट साइड, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली–110008

दिनांकः 27 जुलाई, 2022
स्थान : दिल्ली

फीयम इंडस्ट्रीज लिमिटेड

LIGHT UP THE WORLD
पंजीकृत कार्यालय : डी–5, मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली–110015 (भारत)
फोन : +91–11–25101002/03/04/05, ई–मेल : investor@fiemindustries.com
वेबसाइट : www.fiemindustries.com सीआईएन : L36999DL1989PLC034928

33वीं वार्षिक सामान्य बैठक, रिमोट ई–वोटिंग तथा बही बंदी की सूचना

एतद्द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों एवं तदधीन विरचित नियमों तथा सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के साथ पठित कार्पोरेट मंत्रालय द्वारा जारी जनरल सर्कुलर नंबर 14/2020, 17/2020, 20/2020, 19/2021, 21/2021 और 02/2022, क्रमानुसार दिनांकित 08 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 05 मई, 2020, 13 जनवरी, 2021, 08 दिसंबर, 2021, 14 दिसंबर, 2021, और 05 मई, 2022 क्रमानुसार, ("एमसीए सर्कुलर्स") और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा जारी सर्कुलर नंबर सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79, सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 और सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2022/62, दिनांकित 12 मई, 2020 और 15 जनवरी, 2021 और 13 मई, 2022 क्रमानुसार, ("सेबी सर्कुलर्स") के अनुपालन में, **फीयम इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सदस्यों की 33वीं वार्षिक सामान्य बैठक ("एजीएम"), बुधवार, 24 अगस्त, 2022 को पूर्वा. 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेन्स ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स ("ओएवीएम")** के माध्यम से, किसी उभय स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, आयोजित की जाएगी।

एमसीए सर्कुलर्स तथा सेबी सर्कुलर्स के निबन्धनों में, एजीएम की सूचना तथा वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु वित्तीय विवरण शामिल है ("वार्षिक रिपोर्ट"), उन सभी सदस्यों को ई–मेल द्वारा भेजी जा चुकी है, जिनका ई–मेल पता आरटीए/डिपॉजिटरी पार्टिसिपैंट के पास पंजीबद्ध है। सदस्यों को एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति भेजने की आवश्यकता एमसीए सर्कुलर्स तथा सेबी सर्कुलर्स के माध्यम से समाप्त कर दी गई है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014, यथा संशोधित, के नियम 20, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 44 तथा इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी सामान्य बैठकों के संबंध में सचिवीय मानक (एसएस–2) के प्रावधानों के अनुसरण में, कम्पनी, इसके सदस्यों को, एजीएम में पारित किए जाने हेतु प्रस्तावित सभी प्रस्तावों पर सदस्यों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा, एक वैकल्पिक विधि के रूप में, उपलब्ध करा रही है। रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ("रिमोट ई–वोटिंग") लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लि. (एलआईआईपीएल) द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

सभी सदस्यों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि :

क) एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध साधारण तथा विशेष व्यवसाय का निष्पादन इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा वोटिंग के माध्यम से किया जा सकता है ;
ख) रिमोट ई–वोटिंग आरंभ होने का दिन, तिथि, समय : **शनिवार, 20 अगस्त, 2022 (1000 बजे आईएसटी) ;**
ग) रिमोट ई–वोटिंग समाप्त होने का दिन, तिथि, समय : **मंगलवार, 23 अगस्त, 2022 (1700 बजे आईएसटी) ;**
घ) उक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई–वोटिंग की अनुमति नहीं होगी तथा उसके बाद एलआईआईपीएल द्वारा रिमोट ई–वोटिंग प्लेटफार्म निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
ङ) कट–ऑफ तिथि **17 अगस्त, 2022** को भौतिक अथवा अभौतिक (डीमैटीरियलाइज्ड) रूप में शेयरों के धारक सदस्य एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध साधारण तथा विशेष व्यवसायों पर अपना वोट एलआईआईपीएल के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ("रिमोट ई–वोटिंग") के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक विधि से डाल सकते हैं।
च) सदस्यगण नोट करें कि :
   (i) एलआईआईपीएल द्वारा उपरोक्त तिथि एवं समय के पश्चात रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल वोटिंग के लिए निष्क्रिय कर दिया जाएगा और सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार वोट डाल दिए जाने के बाद, सदस्य को उसमें कोई परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी।
   (ii) जो सदस्य रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट एजीएम से पूर्व डाल चुके होंगे, वे वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं, परंतु एजीएम के दौरान ई–वोटिंग सिस्टम द्वारा पुनः अपना वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।
   (iii) एजीएम में भाग ले रहे जिन सदस्यों ने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा वोट नहीं डाला होगा, वे एजीएम के दौरान ई–वोटिंग सिस्टम द्वारा अपना वोट डालने के हकदार होंगे।
छ) कोई व्यक्ति, जो एजीएम की सूचना प्रेषित किए जाने के बाद कम्पनी के शेयर अर्जित करता है तथा कम्पनी का सदस्य बनता है और विच्छेदन तिथि यानी **17 अगस्त, 2022** को शेयरधारक है, अपना वोट डालने के लिए एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध ई–वोटिंग अनुदेश देख सकता है अथवा enotices@linkintime.co.in पर अनुरोध भेज सकता है अथवा फोन : 022–49188000 पर कॉल कर सकता है।
ज) श्रीमती रंजना गुप्ता, कार्यरत कम्पनी सचिव, को रिमोट ई–वोटिंग द्वारा वोटिंग तथा एजीएम के दौरान ई–वोटिंग द्वारा मतदान की संवीक्षा निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से करने हेतु संवीक्षक नियुक्त किया गया है।

एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.fiemindustries.com पर, बीएसई की वेबसाइट www.bseindia.com पर, एनएसई की वेबसाइट www.nseindia.com पर तथा लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लि. की वेबसाइट https;//instavote.linkintime.co.in पर भी उपलब्ध है।

एतद्द्वारा आगे सूचना दी जाती है कि, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी के सदस्यों की पंजिका तथा शेयर अंतरण बहियां **गुरूवार, 18 अगस्त, 2022 से बुधवार, 24 अगस्त, 2022** (दोनों दिन सहित) तक इक्विटी शेयरों पर अंतिम लाभांश, यदि एजीएम में घोषित किया जाता है, प्राप्त करने का अधिकार निर्धारित करने हेतु बंद रहेंगी।

जिन शेयरधारकों ने अपना ई–मेल पता एवं मोबाइल कम्पनी/आरटीए/डिपॉजिटरीज के पास पंजीबद्ध नहीं करवाया है तथा/अथवा लाभांश इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सर्विसेज (ईसीएस) के जरिए सीधे अपने बैंक खाते में प्राप्त करने के लिए बैंक खाता आदेश अद्यतन नहीं करवाया है, उनसे उपरोक्त विवरण तत्काल, निम्नलिखित विधि में पंजीबद्ध/अद्यतन करवाने हेतु पुनः अनुरोध किया जाता है।

(i) **डीपी के पास विवरण पंजीकरण/अद्यतनीकरण :** यदि शेयर डीमैट रूप में धारित हैं, ऐसे शेयरधारकों को दृढ़तापूर्व सलाह दी जाती है कि वे अपना ई–मेल पता, मोबाइल नंबर तथा बैंक खाता विवरण अपने डीमैट खाते में, डीपी द्वारा सुझाई गई प्रक्रिया के अनुसार पंजीकृत/अद्यतित करवा लें।

(ii) **आरटीए के पास विवरण पंजीकरण/अद्यतनीकरण :** यदि शेयर भौतिक रूप में धारित हैं, शेयरधारक को हमारे आरटीए, लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट पर लिंक https://linkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html पर जाना होगा और फिर कम्पनियों की सूची से **फीयम इंडस्ट्रीज लिमिटेड** सिलेक्ट करना होगा तथा उसमें मांगा गया विवरण भरना होगा तथा आवश्यक दस्तावेज अपलोड और सबमिट करने होंगे। यद्यपि, डीमैट रूप में शेयरों के धारक शेयरधारक अपना विवरण आरटीए के पास पंजीकृत/अद्यतित करवा सकते हैं, तथापि, ऐसे शेयरधारक के लिए अपना विवरण केवल डीपी के पास पंजीकृत/अद्यतित करवाना बेहतर होगा।

यदि कम्पनी किसी सदस्य को लाभांश का भुगतान सदस्य का बैंक खाता अपूर्ण होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक विधि से करने में असमर्थ रहती है, तो कम्पनी ऐसे सदस्य को लाभांश वारंट/बैंकर्स चैक/डिमांड ड्राफ्ट, यथासंभव शीघ्र, अनुमत्य विधियों से प्रेषित करेगी।

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम के आयोजन, रिमोट ई–वोटिंग, एजीएम के दौरान ई–वोटिंग के संबंध में किसी संदेह या शिकायत की स्थिति में सदस्य उसकी सूचना निम्नवर्णित पते पर/ कम्पनी के अधिकारी/आरटीए भेज सकते हैं :

विवरण	फीयम इंडस्ट्रीज लिमिटेड	लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
पता	डी–5, मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली–110015	सी–101, 247 पार्क एलबीएस मार्ग, विखराली, (पश्चिम) मुंबई 400083
नाम और पदनाम	श्री अरविन्द के. चौहान, कम्पनी सचिव	श्री राजीव रंजन, सहायक उपाध्यक्ष
फोन	+91–130–2367905 से 10 तक	+91–022–49186000
ई–मेल आईडी	investor@fiemindustries.com	enotices@linkintime.co.in

- शेयरधारकों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है, ई–वोटिंग इसको आसान बनाती है।
- शेयरधारकों को शेयरों के धारण, हस्तांतरण की आसानी और अन्य संबद्ध लाभों के लिए अपने भौतिक शेयर अभौतिक (डीमैटीरियलाइज्ड) रूप में बदलवा लेने की सलाह दी जाती है।
- शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने अदत्त लाभांश की मांग, उसको आईईपीएफ को अंतरित किए जाने से पूर्व ही कर लें। लाभांश/शेयर एक बार आईईपीएफ को अंतरित कर दिए जाने के बाद, दावेदार, निर्धारित प्रक्रिया अपना कर तथा आवश्यक दस्तावेज जमा करके ही उसको आईईपीएफ से मांगने का हकदार है।

वास्ते फीयम इंडस्ट्रीज लिमिटेड
हस्ता./–
अरविन्द के. चौहान
कम्पनी सचिव

तिथि : 02 अगस्त, 2022
स्थान : राई, हरियाणा

केनरा बैंक Canara Bank (A Govt. of India Undertaking)
एससीओ 11, सेक्टर 16, फरीदाबाद, हरियाणा 121002

आधिपत्य सूचना (धारा 13(4)) (अचल संपत्ति हेतु)

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने केनरा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का अधिनियम 54) (यहां इसमें इसके उपरांत "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, एक मांग सूचना दिनांकित 10.05.2022 निर्गत की थी, जिसमें उधारकर्ता श्री विजय बंसल स्वामी मैसर्स बंसल जेवर महल को सूचना में अंकित राशि रु. 31,84,666.38 (रुपए इकतीस लाख चौरासी हजार छह सौ छियासठ एवं अड़तीस पैसे मात्र) का, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

चूंकि उधारकर्ता निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा उधारकर्ता को तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का उक्त नियमावली के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, 28 जुलाई 2022 को, आधिपत्य ग्रहण कर लिया है।

उधारकर्ता को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन–देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, रु. 31,84,666.38 (रुपए इकतीस लाख चौरासी हजार छह सौ छियासठ एवं अड़तीस पैसे मात्र) की एक राशि तथा इस राशि पर ब्याज हेतु केनरा बैंक के प्रभाराधीन होगा।

उधारकर्ता का ध्यानाकर्षण प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

दूकान–सह–आवास की ईएमटी में समाविष्ट संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जो भूखंड संख्या 126बी एवं 127ए में, माप 147 वर्ग गज, खेवट/खाता संख्या 2580/2527, खसरा संख्या 48/15/2/13, 15/2/14, 15/2/22/1, 15/2/23/2 से युक्त, मौजा सरन की राजस्व संपदा, तहसील एवं जनपद फरीदाबाद में स्थित हैं, और इस प्रकार परिसीमित हैं: उत्तर– भूखंड संख्या 126ए, दक्षिण– भूखंड संख्या 127बी, पूर्व– सड़क, पश्चिम– सड़क

दिनांकः 02.08.2022, स्थानः फरीदाबाद — प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक

शिल्पी केबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड – परिसमापनाधीन

सीआईएन नं. L64201DL2006PLC150753

सार्वजनिक उद्घोषणा का परिशिष्ट

भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 37ए के तहत शिल्पी केबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड–परिसमापनाधीन (''कॉर्पोरेट देनदार'') के नॉट रेडिली रियलाइजेबल एसेट्स (''एनआरआरए'') के एसाइनमेंट या ट्रांसफर के लिए भावी निवेशकों से रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रण के संबंध में 20 जून, 2022 को प्रकाशित सार्वजनिक उद्घोषणा और 8 जुलाई, 2022 को प्रकाशित कथित सार्वजनिक उद्घोषणा के परिशिष्ट के संदर्भ में रूचि की अभिव्यक्ति एवं प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि 25 अगस्त, 2022 तक बढ़ा दी गई है। कॉर्पोरेट देनदार की परिसंपत्तियां ''जैसा है जहां है, जो है जैसा है, जो कुछ वहां है और बिना रिकोर्स आधार पर सौंपी या हस्तांतरित की जाएंगी''।

एनआरआरए में शामिल है

विदेशी सहायक कंपनियों में निवेश, घरेलू एवं विदेशी प्राप्य, ऋण एवं अग्रिम, माननीय एनसीएलटी, प्रधान पीठ, नई दिल्ली के समक्ष लंबित शोधन एवं धोखाधड़ी आवेदनों में पड़ी परिसंपत्तियां।

अधिक जानकारी के लिए फोन नं. +91 8828576197/ +91 9930248351 या ई–मेल sctl.lq@gmail.com पर सम्पर्क करें। एनआरआरए के लिए रूचि की अभिव्यक्ति जमा करने तथा प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि 25 अगस्त, 2022 तक बढ़ा दी गई है।

कृते शिल्पी केबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड–परिसमापनाधीन
हुजेफा फखरी सीताबखान
IBBI/IPA-001/IP-P00031/2017-18/10115
sctl.lq@gmail.com; huzefa.sitabkhan@gmail.com

दिनांकः 2 अगस्त, 2022
स्थानः मुंबई

SMART FINSEC LIMITED

(Formerly Known as Kevalin Securities Limited)
Registered Office:- FC-02, 4th Floor, TDI Mall, Vishal Enclave, Rajouri Garden, New Delhi-110027
CIN:- L74899DL1995PLC063562
Phone:- 011- 25167071, 45004425
Email Id:- smartfinsec@gmail.com

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Wednesday, 10th day of August, 2022 at 3:00 P.M. at its Registered office at FC-02, 4th Floor, TDI Mall, Vishal Enclave, Rajouri Garden, New Delhi-110027, to inter -alia (i) consider and approve the Unaudited Financial Results of the Company for the Financial Year ended on June 30th, 2022.

Further, in continuation to our earlier intimation dated July 01st, 2022, in compliance with the provisions of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations 2015 and Company's "Code of Conduct for Insider Trading and Fair Disclosure of Unpublished Price Sensitive Information", the Trading Window for dealing in securities of the Company had already been closed with effect from 01st July, 2022 and the same shall reopen 48 hours after the declaration of outcome of Board Meeting.

For Smart Finsec Limited
Sd/-
(Priyanka Sharma)
Company Secretary & Compliance Officer

Place: New Delhi
Date : 01.08.2022

नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड

CIN: L45101DL1996PLC315772
पंजी. कार्यालयः टोल प्लाजा, मयूर विहार लिंक रोड, नई दिल्ली–110091
टेली.: 0120–2516447/495, ईमेल : ntbcl@ntbcl.com, वेबसाईटः www.ntbcl.com

सूचना

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 के अंतर्गत शेयरधारकों के लिये सूचना जहाँ अन्तरिम 2014–15 के लिये लाभांश दावा–रहित है, के शेयरधारकों के लिये दावा–रहित लाभांश/शेयरों का आईईपीएफ फंड/आईईपीएफ सस्पेंश खाता में अंतरण

अभिलेखों से यह सूचना मिली है कि कुछ शेयरधारकों ने वर्ष 2014–15 के लिये अपने अन्तिम लाभांश एन्कैश नहीं किये हैं तथा वह लगातार सात वर्षों से दावा–रहित है। ऐसे शेयरधारकों के विवरण कम्पनी की वेबसाईटः www.ntbcl.com पर प्रदर्शित की गई है।

विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, संपरीक्षा, अन्तरण और प्रतिदाय) नियमावली 2016 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(5) के प्रावधानों के अनुपालन में सूचित किया जाता है कि ऐसे सभी इक्विटी शेयरों को कम्पनी द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित **विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण** (आईईपीएफ) अथवा आईईपीएफ सस्पेंश खाता में अंतरित किया जायेगा जिसके लिये लगातार सात वर्षों से लाभांश का दावा अथवा शेयरधारकों द्वारा उसे एन्कैश नहीं किया गया है। तदनुसार, ऐसे शेयरों जहाँ लाभांश लगातार सात वर्षों से दावा–रहित रहा है, को यदि 3 नवम्बर, 2022 को या उससे पूर्व उसका दावा नहीं किया जाता है तो उसे आईईपीएफ अथवा आईईपीएफ सस्पेंश खाता में अंतरित कर दिया जायेगा।

कम्पनी ने त्वरित रूप से अपने लाभांश का दावा करने की सलाह देते हुए ऐसे सभी शेयरधारकों के नवीनतम उपलब्ध पते पर वैयक्तिक सूचना भेज दी है जिनके लाभांश वित्त वर्ष 2014–15 से लगातार सात वर्षों से दावा–रहित पड़े रहे हैं।

आईईपीएफ अथवा आईईपीएफ की सस्पेंश खाता में उसे क्रेडिट किये जाने से पूर्व शेयरों तथा दावा–रहित लाभांश राशि का दावा करने के लिये शेयरधारक वर्ष 2014–15 के लिये अंतरिम लाभांश के लिये 3 नवम्बर, 2022 को या उससे पूर्व अधोलिखित दस्तावेजों के साथ एक लिखित अंडरटैकिंग आरटीए के पास अग्रसारित करें:

शेयरों का दावा करने के लिये अंडरटैकिंग का विधिवत हस्ताक्षरित पत्र (फोलियों नं./डीपी आईडी क्लाइन्ट आईडी का उल्लेख करना सुनिश्चित करें।)

1. बैंक मैंडेट फार्म;
2. पैन कार्ड की स्वतः सत्यापित प्रति
3. आवास के प्रमाण (जैसे वोटर आईडी/आधार कार्ड/पास्पोर्ट/ड्राइविंग लाइसैन्स) की स्वतः सत्यापित प्रति
4. अपनी बैंक खाता का निरस्त बैंक चेक
5. बैंक की मुहर तथा सत्यापनकर्ता प्राधिकारी के कर्मचारी आईडी के साथ बैंक के प्रबंधक से हस्ताक्षर का सत्यापन पत्र।

दावा–रहित लाभांश, पते के परिवर्तन तथा डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने तथा सम्प्रेषण मामलों के संदर्भ में आगे जानकारी/स्पष्टीकरणों के लिये कृपया अधोहस्ताक्षरी अथवा आरटीए से सम्पर्क करें।

टिप्पणीः

1) यदि 3 नवम्बर, 2022 को या पूर्व हमें दावे के लिये दस्तावेज प्राप्त नहीं होता है तो ऐसे शेयरों को आईईपीएफ फंड/आईईपीएफ सस्पेंश खाता में अंतरित कर दिया जायेगा जिसके लिये लाभांश अप्रदत्त/दावा–रहित रहा है तथा आईईपीएफ प्राधिकरण की खाता में क्रेडिट की गई शेयरों तथा लाभांश के संदर्भ में कम्पनी के विरुद्ध कोई दावा नहीं की जा सकती है। शेयरधारकों को शेयरों का दावा करने के लिये आईईपीएफ नियमावली में दी गई प्रक्रिया का अनुसरण करना होगा।
2) यदि 3 नवम्बर, 2022 को या पूर्व वर्ष 2014–15 के लिये हमें अंतरिम लाभांश के लिये आपका दावा प्राप्त नहीं होता है तो उसे आईईपीएफ फंड में अंतरित कर दिया जायेगा।
3) पुनः यह भी ध्यान रहे कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी ने अंतिम लाभांश खाता 2014–15 के लिये ऐसे शेयरों को आईईपीएफ सस्पेंश खाता में अंतरित कर दिया है जिनके लिये लगातार सात वर्षों से लाभांश दावा–रहित रहा है।
4) वित्त अधिनियम, 2020 के अनुसार 1 अप्रैल, 2020 से शेयरधारकों के हाथों में लाभांश आय कर–योग्य होगी तथा कम्पनी को निर्धारित दरों पर शेयरधारकों को प्रदत्त लाभांश से स्रोत पर कर की कटौती करना होगा। विभिन्न श्रेणियों के लिये निर्धारित दरों के लिये शेयरधारकों से अनुरोध है कि वित्त अधिनियम, 2020 तथा उसके संशोधनों को देखें। शेयरधारकों से आग्रह है कि कम्पनी/आरटीए के पास (भौतिक पद्धति में धारित शेयरों के मामले में) तथा डिपॉजिटरी के पास (डीमैट पद्धति में धारित शेयरों के मामले में) अपना पैन अद्यतन करा लें।
5) शेयरधारकों से अनुरोध है कि आरटीए के पास (भौतिक धारिता के लिये) तथा डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट के पास (डीमैट धारिता के लिये) अपने ईमेल आईडी अद्यतन करा लें ताकि वे सभी सूचनाएं कम्पनी से इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्राप्त कर सकें।

पत्राचार का पता :

नोएडा टोल ब्रिज कम्पनी लिमिटेड	केफिन टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड
ध्यानार्थः गगन सिंघल, कम्पनी सचिव नोएडा टोल ब्रिज कम्पनी लिमिटेड टोल प्लाजा, डीएनडी फ्लाईवे, नोएडा–201301 (उ.प्र.) दूरभाष : 0120–2516447/495	'सेलेनियम टावर–बी', प्लॉट नं. 31 एवं 32, गाछीबाउली, फाइनांसियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद–500032, तेलंगना फोन : +9140 6716 2222, 3321 1000

नोएडा टोल ब्रिज कम्पनी लिमिटेड के लिये
गगन सिंघल
कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

स्थानः नोएडा
तिथिः 02.08.2022